

संख्या : १५५/०८/०८/२०२१-२  
दिनांक : ३० अप्रैल, २०२१

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की बैठक दिनांक 28.04.2021 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-२३१९/नौ-५-२०१९-३९४सा/२०१८ दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-८४९/नौ-९-१९-८९ज/२००१ दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रु० 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-२७४८/नौ-९-२०-८९ज/२००१, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष, एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-५०४/नौ-५-२०२०-३९४सा/२०१८ दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की है।

		अध्यक्ष
1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
5	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
6	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2021 को अपराह्न 03:30 बजे Covid-19 के कारण जूम ऐप के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-१)

2. सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-२) एवं एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा निम्नवत् है :

#### एजेण्डा-(I) :

महाप्रबन्धक, गो०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-३३२/AC-६/१९ दिनांक 01.02.2021, एवं पत्र संख्या-५६९/AC-६/२२ दिनांक 22.02.2021, पत्र संख्या-१०५४/AC-६/४० दिनांक 26.04.2021, एवं पत्र संख्या-१०५५/AC-६/४१ दिनांक 26.04.2021 द्वारा लखनऊ जोन, पैकेज-४ के लिए दिसम्बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के फर्म - M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष पेमेन्ट सर्टीफिकेट/बिल जमा किया गया है (संलग्नक-३) जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	14 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- December 2020	रु० 8,14,73,269.51 (फर्म को भुगतान रु० 6,62,72,645.31 + जीएसटी रु० 79,52,717.20 + डीजल रु० 4,66,517.00) + 10 % सेन्टेज रु० 67,81,390.00	
2	15 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- January 2021	रु० 8,21,80,194.17 (फर्म को भुगतान रु० 6,71,13,826.04 + जीएसटी रु० 80,53,659.13 + डीजल रु० 2,31,319.00) + 10 % सेन्टेज रु० 67,81,390.00	
3	16 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- February 2021	रु० 82307752.44 (फर्म को भुगतान रु० 6,72,62,212 + जीएसटी रु० 80,71,465 + डीजल रु० 1,92,685)+ 10 % सेन्टेज रु० 67,81,390.00	एजेन्डा-(ix) अन्य बिन्दु अपर मुख्य सचिव, नगर विकास/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेन्डा (i) में उक्त फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल सम्मिलित किये गये हैं।
4	17 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- March 2021	रु० 83328182.00 (फर्म को भुगतान रु० 6,78,13,900 + जीएसटी रु० 81,37,668 + डीजल रु० 595224)+ 10 % सेन्टेज रु० 67,81,390.00	

महाप्रबन्धक, गोप्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ एवं परियोजना प्रबन्धक, गोप्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा दिसम्बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्सिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० के० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, गोप्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा दिसम्बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का परीक्षण एवं संस्तुति निम्नानुसार की गयी है :-

क्र. स.	विवरण	14 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- December 2020	15 <sup>th</sup> Payment Ceirtificate/ Bill- January 2021	16 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- February 2021 Adhoc Payment (75 % - Mob Adv)	17 <sup>th</sup> Payment Certificate/ Bill- March 2021 Adhoc Payment (75 % - Mob Adv)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमृत की जाने वाली धनराशि	58217500.26	58831903.25	43988192.33 (50446659- 6458466.67)	44401958.33 (50860425- 6458466.67)
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	6986100.03	7059828.39	5278583.08	5328234.10
3.	फ्यूल चार्जर्स (As per actual Certified by UPJN)	466517	231319	192685	595224

4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	5821750.03	5883190.33	4398819.23	4440195.83
5	योग	71491867.32	72006240.97	53858279.64	54765612.26
6	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		252122000.19 - / (रु0 पच्चीस करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार व उन्नीस पैसे मात्र)		

समिति के सदस्य सचिव—मुख्य अभियंता श्री चौधरी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section II के प्रस्तर- 34 के अनुसार मेसर्स सुएज इण्डिया प्राइलो को मोबलाइजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु0 7,75,01,600.00 (सात करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार छ: सौ मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 12 किश्तों के सापेक्ष द्वितीय किश्त, तृतीय किश्त, चतुर्थ किश्त एवं पंचम किश्त की देयता माह दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 से है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा दिसम्बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के बिल से की जानी थी परंतु जल निगम द्वारा कटौती न किये जाने के कारण रु0 6458468.67 (चौंसठ लाख अट्ठावन हजार चार सौ छाँच्ठ व पैसे सरसठ मात्र) की दिसम्बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के बिल में ओएमएण्डएम सेल द्वारा की गयी है।

उपरोक्त धनराशि रु0 252122000.19 से जल निगम, लखनऊ द्वारा दिसम्बर 2020, जनवरी, 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि रु0 2,45,00,000 को Escrow Account में अंतरित करने का संस्तुति सहित प्रस्तावित की गयी है।

सदस्य सचिव—मुख्य अभियंता द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section III के प्रस्तर संख्या—2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह जमा करनी है। फर्म द्वारा दिसम्बर 2020, जनवरी, 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 की वांछित धनराशि रु0 रु0 2,45,00,000 (रु0 दो करोड़ पैतालीस लाख मात्र) जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि रु0 252122000.19 (रु0 पच्चीस करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार व उन्नीस पैसे मात्र) से उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा दिसम्बर 2020, जनवरी, 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि रु0 2,45,00,000 (रु0 दो करोड़ पैतालीस लाख मात्र) को Escrow Account में अंतरित करने का संस्तुति सहित प्रस्ताव दिया गया।

#### निर्णय :

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन के माह दिसम्बर 2020, जनवरी, 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021, के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 252122000.19 (रु0 पच्चीस करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार एवं पैसे उन्नीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने हेतु समस्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा दिसम्बर 2020, जनवरी, 2021, फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित कुल धनराशि रु0 2,45,00,000 (रु0 दो करोड़ पैतालीस लाख मात्र) को Escrow Account में अंतरित करना एवं अन्य वांछित कटौतियां सुनिश्चित किया जाये।

#### एजेण्डा (ii):

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र संख्या—614 / Payment O/M VATech Wabag/47 दिनांक 19.02.2021, पत्र संख्या—834 / Payment O/M VATech Wabag/17 दिनांक 16.03.2021 एवं पत्र संख्या—978 / Payment O/M VATech Wabag/24 दिनांक 31.03.2021 द्वारा क्रमशः माह दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 व फरवरी 2021 हेतु फर्म — M/s VA Tech Wabag Limited द्वारा आगरा जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं

कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल जमा किया गया (संलग्नक-4) जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)
1	13 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill - December, 2020	रु० 3,48,54,615.80 (फर्म को भुगतान रु० 2,85,69,357.21 (रु० 3,11,90,783.79 - LD रु० 26,21,426.58) + जीएसटी रु० 34,28,322.87 + 10 % सेन्टेज 28,56,935.72)
2	14 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill - January, 2021	रु० 3,12,94,883.80 (फर्म को भुगतान रु० 26802666.23 (रु० 30551191.23 - LD रु० 3748525) + जीएसटी रु० 3216319.95 + 10 % सेन्टेज रु० 2680266.62) -Withheld Amount रु० 1404369
3	15 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill - February, 2021	रु० 3,09,52,236.49 (फर्म को भुगतान रु० 24162557.76 (रु० 27689176.76 - LD रु० 3526619.00) + 5% Escalation रु० 1208127.89 + जीएसटी रु० 3044482.28 + 10 % सेन्टेज रु० 2537068.56)

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा एवं परियोजना प्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा माह दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 व फरवरी 2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रमाणित कर प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० के० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा प्रेषित माह दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 व फरवरी 2021 का परीक्षण एवं संस्तुति निम्नानुसार की गयी है :-

क्र.सं.	विवरण	13 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill - December, 2020	14 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill - January, 2021	15 <sup>th</sup> Payment Certificate / Bill - February, 2021
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	24601396.93	21392126.96	21622160.27
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	2952167.63	2567055.24	2594659.23
3.	प्यूल चार्जस (As per actual certified by UPJN)	0	0	0
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	2460139.69	2139212.70	2162216.03
6	योग	30013704.25	26098394.90	26379035.53
7	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	82491134.68 - / (रु० आठ करोड़ चौबीस लाख इक्यानवे हजार एक सौ चौतीस व पैसे अरसठ मात्र)		

सदस्य सचिव-मुख्य अभियंता श्री चौधरी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section III के प्रस्तर संख्या-2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह

जमा करनी है। फर्म द्वारा माह दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 व फरवरी 2021 की वांछित धनराशि ₹0 18233870.97 (₹0 एक करोड़ बयासी लाख तैतीस हजार आठ सौ सत्तर व पैसे सत्तानवे मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि ₹0 82491134.68 (₹0 आठ करोड़ चौबीस लाख इक्यानवे हजार एक सौ चौतीस व पैसे अरसठ मात्र) से उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा माह दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 व फरवरी 2021 की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि ₹0 18233870.97 (₹0 एक करोड़ बयासी लाख तैतीस हजार आठ सौ सत्तर व पैसे सत्तानवे मात्र) को Escrow Account में अंतरित करने का संस्तुति सहित प्रस्ताव दिया गया।

#### निर्णय :

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-6, आगरा जोन के माह दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 व फरवरी 2021, के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 82491134.68 (₹0 आठ करोड़ चौबीस लाख इक्यानवे हजार एक सौ चौतीस व पैसे अरसठ मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने हेतु समस्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा माह दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 व फरवरी 2021, की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित कुल धनराशि ₹0 18233870.97 (₹0 एक करोड़ बयासी लाख तैतीस हजार आठ सौ सत्तर व पैसे सत्तानवे मात्र) को Escrow Account में अंतरित करना एवं अन्य वांछित कटौतियां सुनिश्चित किया जाये।

#### एजेण्डा (iii)

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या- 265/वन सिटी वन आपरेटर/45 दिनांक 04.01.2021 एवं 588/वन सिटी वन आपरेटर/116 दिनांक 23.03.2021 द्वारा माह दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021 हेतु फर्म — — मेसर्स VA Tech Wabag Limited द्वारा गाजियाबाद जोन प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल जमा किया गया है (संलग्नक-5) जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रुपये में)
गाजियाबाद जोन (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर)		
1	13th Payment Certificate/Bill-December 2020	₹0 8,08,36,072.54 (फर्म को भुगतान ₹0 6,53,46,239 + जीएसटी ₹0 78,41,548.68 + डीजल ₹0 8,48,581.80) + NABL TPI Sampling 6,45,932.00 + 10% सेन्टेज ₹0 74,68,230.15)- Proposed LD of ₹0 13,14,459.09
2	14th Payment Certificate/Bill-January 2021	₹0 8,63,34,410.04 (फर्म को भुगतान ₹0 68770592.24 (62842054.50 + 5% Esclation ₹0 3142102.73 + Release of Withheld Amount November & December For Sewer network Rs. 4116029.56 - Proposed LD of ₹0 1329594.54) + जीएसटी ₹0 8252471.07 + डीजल ₹0 746681.00 + NABL TPI Sampling 716083.00 + 10% सेन्टेज ₹0 7848582.73)

1

5/12

Phd.

W...J

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद एवं परियोजना प्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा माह दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रमाणित प्रेषित किये गये हैं प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है। But Some Observations Communicated to GM, Jal Nigam Ghaziabad for Compliance vide letter no 143, dated 18 March 2021 , which is awaited. Similar observations have been noticed in the payment certificate/Bill of month January 2021.

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० के० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित माह दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021 का परीक्षण एवं संस्तुति निम्नानुसार की गयी है :- Since Some Observations were communicated to GM, Jal Nigam Ghaziabad for Compliance vide letter no 143, dated 18 March 2021 , which is still awaited therefore अनुबन्ध के Section VI Clause 6.6 : Payment Procedures के अनुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की 75 प्रतिशत धनराशि उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु अवमुक्त की जा सकती है।

क्र. सं.	विवरण	13th Payment Certificate/Bill- December 2020 Adhoc Payment (75 %- Mob Adv)	14th Payment Certificate/Bill- January 2021 Adhoc Payment (75 %- Mob Adv)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	40265663.08 (49009679.25-8744016.17)	42833928.01 (51577944.18-8744016.17)
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	4831879.57	5140071.36
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	848581.80	746681.00
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टर/सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	4026566.31	4283392.80
5	योग	49972690.76	53004073.17
6	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	102976763.93 (र०० दस करोड़ उन्नीस लाख छिह्न्तर हजार सात सौ तिरसठ व पैसे तिरानवे मात्र)	

सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section III के प्रस्तर संख्या-2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह जमा करनी है। फर्म द्वारा माह दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021 की वांछित धनराशि रु० 1,21,08,870.97 (एक करोड़ इक्कीस लाख आठ हजार आठ सौ सत्तर व पैसे सत्तानवे मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओएमएण्डएम सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि रु० 102976763.93 (र०० दस करोड़ उन्नीस लाख छिह्न्तर हजार सात सौ तिरसठ व पैसे तिरानवे मात्र) से उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा माह दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021 की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष लम्बित धनराशि रु० 1,21,08,870.97 (एक करोड़ इक्कीस लाख आठ हजार आठ सौ सत्तर व पैसे सत्तानवे मात्र) को Escrow Account में अंतरित करने का संस्तुति सहित प्रस्ताव दिया गया।

Communicated to GM, Jal Nigam Gorakhpur for Compliance vide letter no 141, dated 17 March 2021 , which is awaited.

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के मुख्य अभियन्ता (आर० को० चौधरी), अधिशासी अभियन्ता (विकास कुरील) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी), द्वारा महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर द्वारा माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का परीक्षण किया गया :-. Since Some Observations were communicated to GM, Jal Nigam Ghaziabad for Compliance vide letter no 141, dated 17 March 2021 , which is awaited therefore अनुबन्ध के Section VI Clause 6.6 : Payment Procedures के अनुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की 75 प्रतिशत धनराशि उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु अवमुक्त किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की गयी है :

क्र. स.	विवरण	Payment Certificate/ Bill- 10 <sup>th</sup> Sept, 2020 (Adhoc payment 75%)	Payment Certificate/ Bill- 11 <sup>th</sup> oct, 2020 (Adhoc payment)	Payment Certificate/ Bill- 12 <sup>th</sup> Nov, 2020 (Adhoc payment)	Payment Certificate/ Bill- 13 <sup>th</sup> Dec, 2020 (Adhoc payment 75%)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	1442812.84	1325324.49	1452436.67	1514121.32
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	173137.54	159038.49	174292.40	181694.56
3.	फ्लूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	10763	21342	24899	25887
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत )	144281.28	132532.25	145243.67	151412.13
5	योग	1770994.66	1638237.88	1796871.74	1875115.01
6	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि		7079219.29 ( सत्तर लाख उन्नयासी हजार दो सौ उन्नीस व पैसे उन्नतीस मात्र)		

सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता श्री चौधरी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section III के प्रस्तर संख्या-2.8 के तहत फर्म को मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड की वांछित धनराशि Escrow Account में प्रत्येक माह जमा करनी है। फर्म द्वारा 28 दिसम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक की वांछित धनराशि रु० 7,09,78,494. जमा करनी है। फर्म द्वारा चार चार सौ चौरानवे व पैसे बासठ मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी 62 (सात करोड़ नौ लाख अठहत्तर हजार चार सौ चौरानवे व पैसे बासठ मात्र) अभी तक जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में जल निगम एवं ओ०एम०एण्डएम० सेल द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि रु० 7079219.29 ( सत्तर लाख उन्नयासी हजार दो सौ उन्नीस व पैसे उन्नतीस मात्र) से फर्म को भुगतान होने वाली नेट धनराशि को उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा Escrow Account में अंतरित करने का प्रस्ताव दिया गया। दिनांक 28 दिसम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष अवशेष धनराशि को फर्म द्वारा Escrow Account में जमा करने हेतु नोटिस जारी की जाय। यदि फंड के सापेक्ष अवशेष धनराशि को फर्म द्वारा Escrow Account में जमा करने हेतु नोटिस जारी की जाय। यदि फर्म द्वारा उक्त धनराशि नहीं जमा की जाती है तो फर्म को भुगतान होने वाले अग्रिम बिलों की धनराशि से Escrow Account में अंतरित किया जाय।

X

11

8/12

A2

Manoj X

### निर्णय :

उपरोक्तानुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-५, गोरखपुर जोन के अयोध्या स्थित १२ एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर २०२० के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष कुल धनराशि रु० ७०७९२१९.२९ (सत्तर लाख उन्न्यासी हजार दो सौ उन्नीस व पैसे उन्नीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने हेतु समस्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा रु० ७०७९२१९.२९ (सत्तर लाख उन्न्यासी हजार दो सौ उन्नीस व पैसे उन्नीस मात्र) से फर्म को भुगतान होने वाली नेट धनराशि को Escrow Account में अंतरित करना एवं अन्य कटौतियाँ किया जाना सुनिश्चित किया जाये। दिनांक २८.१२.२०१९ से ३१.१२.२०२० तक की मेजर रिप्लेसमेण्ट फंड के सापेक्ष अवशेष धनराशि को फर्म द्वारा Escrow Account में जमा करने हेतु नोटिस जारी की जाय। यदि फर्म द्वारा उक्त धनराशि नहीं जमा की जाती है तो फर्म को भुगतान होने वाले अ ग्रिम बिलों की धनराशि से कटौती कर Escrow Account में अंतरित करना सुनिश्चित किया जाय।

### विद्युत बिल-

### एजेन्डा (v) :

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्र-१४५ / Payment O&M VATech Wabag/०२ दिनांक ११.०१.२०२१, संख्या-पत्र संख्या-५०५ / Payment O&M VATech Wabag/०८ दिनांक १०.०२.२०२१ एवं पत्र संख्या-७९६ / Payment O&M VATech Wabag/१४ दिनांक १२.०३.२०२१ द्वारा ०५ नग एस०टी०पी० व २८ नग एस०पी०एस० के माह दिसंबर २०२०, जनवरी २०२१ व फरवरी २०२१ का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० ७८,८८,८७०.९९ (रु० अठहत्तर लाख अट्ठासी हजार आठ सौ सत्तर व पैसे निन्यानवे मात्र) एवं रु० ७९,१६,४६२.९४ (रु० उन्न्यासी लाख सोलह हजार चार सौ बासठ व पैसे चौरानवे मात्र) रु० ७२,७४,६७६.५१ (रु० बहत्तर लाख छौहत्तर हजार छ: सौ छिहत्तर व पैसे इक्यावन मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्र संख्या-२१३ / Payment O&M VATech Wabag/०३ दिनांक १६.०१.२०२१, पत्र संख्या-५८३ / Payment O&M VATech Wabag/१० दिनांक १६.०२.२०२१ एवं पत्र संख्या-पत्र संख्या-८६१ / Payment O&M VATech Wabag/१९ दिनांक १८.०३.२०२१ द्वारा ०२ नग एस०टी०पी० के दिनांक ०६.१२.२०२० से ०२.०१.२०२१, ०२.०१.२०२१ से ०१.०२.२०२१ एवं ०१.०२.२०२१ से ०१.०३.२०२१ तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० १,६३,१५९.०० (रु० एक लाख तिरसठ हजार एक सौ उनसठ मात्र), रु० १,३१,८०८.०० (रु० एक लाख इकतीस हजार आठ सौ आठ मात्र) एवं १,२४,१५३ (रु० एक लाख छौबीस हजार एक सौ तिरपन मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

### एजेन्डा (vi) :

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-२४२ / वन सिटी वन ऑपरेटर/४१ दिनांक ०३.०२.२०२१ द्वारा ७० व ५६ एम०एल०डी० एस०टी०पी० डून्डाहेड़ा के ०१.१२.२०२० से ०१.०१.२०२१ तक का प्रमाणित विद्युत देयक रु० ४४,७६,१६०.०० (रु० चौवालीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(वि०/य०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-७३८ / कार्य-३३/४३ दिनांक ०२.०३.२०२१ एवं पत्र संख्या-७६५ / कार्य-३३/४५ दिनांक ०५.०३.२०२१ द्वारा ७४, ४८ एम०पी०एस० व ५६ एम०एल०डी० एस०टी०पी० इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के दिनांक ०१.०१.२०२१ से दिनांक ०१.०२.२०२१ व ०१.०२.२०२१ से ०१.०३.२०२१ तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० ३२,९२,५०७.०० (बत्तीस लाख बानवे हजार पाँच सौ सात मात्र) एवं रु० ४८,७५,७३५.०० (अड़तालीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैंतीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः इन्दिरापुरम, गाजियाबाद की प्रमाणित विद्युत देयक की कुल धनराशि रु० ८१,६८,२४२.०० (इक्यासी लाख अड़सठ हजार दो सौ बयालीस मात्र) है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

**एजेन्डा (vii) :**

महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-223 / कार्य-14/74 दिनांक 05.03.2021 द्वारा 30 व 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 गोरखपुर के माह जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के प्रमाणित विद्युत देयक रु0 2,37,29,000.00 (रु0 दो करोड़ सौ तीस लाख उन्तीस हजार मात्र) निदेशालय में को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

**एजेण्डा पैरा (v), (vi) एवं (vii) के शहर-वार/टाउन-वार विद्युत बिल का विवरण निम्नानुसार है-**

एजेण्डा क्र0सं0	शहर/टाउन का नाम	एस0टी0पी0/पर्मिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु0
(v)	आगरा	5 एस0टी0पी0	दिसम्बर, 2020	78,88,870.99
		5 एस0टी0पी0	जनवरी, 2021	79,16,462.94
		5 एस0टी0पी0	फरवरी, 2021	72,74,676.51
		2 एस0टी0पी0	दिसम्बर, 2020	1,63,159.00
		2 एस0टी0पी0	जनवरी, 2021	1,31,808.00
		2 एस0टी0पी0	फरवरी, 2021	1,24,153
			कुल धनराशि	2,34,99,130.44
(vi)	गाजियाबाद	(70 व 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 झून्डाहेड़ा)	दिसम्बर, 2020	44,76,160.00
		70 व 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 इन्दिरापुरम्	जनवरी, 2021	32,92,507.00
		(70 व 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 इन्दिरापुरम्)	फरवरी, 2021	48,75,735.00
			कुल धनराशि	1,26,44,402.00
(vii)	गोरखपुर	(30 व 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0)	जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक	2,37,29,000.00
			योग	5,98,72,532.44

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु0 5,98,72,532.44 ( पांच करोड़ अट्ठानवे लाख बहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस व पैसे चवालीस ) की स्वीकृति वांछित है।

**निर्णय :**

एजेण्डा पैरा (v), (vi) एवं (vii) के शहर-वार/टाउन-वार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु0 5,98,72,532.44 ( पांच करोड़ अट्ठानवे लाख बहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस एवम् चवालीस पैसे ) की स्वीकृति शासन से प्रदान किए जाने पर समस्त उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

**एजेण्डा (viii) :**

गोरखपुर जौन (गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर), पैकेज-5 के अनुबंध से सुल्तानपुर शहर के 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं सीवेज पर्मिंग स्टेशन इत्यादि के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन कार्य को स्कोफ ऑफ वर्क से समाप्त करने हेतु प्रस्ताव:

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक-149/022/407(बी)/2020 दिनांक 20.02.2021 द्वारा अवगत कराई गया है कि सुल्तानपुर में आई. एण्ड डी. एवं एस. टी. पी. कार्य की नमामि गंगे कार्यक्रम में स्वीकृत (DOBt) परियोजना मेसर्स ईआईआईपीएल-एबीआई (जेबी) द्वारा कियान्वित की जा रही है, जिसमें योजनान्तर्गत नये निर्माण कार्यों के साथ-साथ सुल्तानपुर नगर में पूर्व निर्मित सीवरेज परिसम्पत्तियों को सम्मिलित

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वन सिटी वन आपरेटर के अंतर्गत गोरखपुर जोन(62 एम.एल.डी.) के अनुबन्ध में सुल्तानपुर के पूर्व से सृजित 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन, गुरुग्राम द्वारा दिनांक 28.12.2019 से किया जा रहा है। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि वन सिटी वन आपरेटर के अंतर्गत गोरखपुर जोन के अनुबन्ध से सुल्तानपुर में पूर्व से सृजित सीवरेज परिसम्पत्तियां यथा 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन इत्यादि के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन के कार्य को गोरखपुर जोन के अनुबन्ध से स्कोफ ऑफ वर्क को समाप्त करते हुए पूर्व से सृजित सीवरेज परिसम्पत्तियों को मेसर्स ईआईआईपीएल-एबीआई (जेबी) को हस्तगत किया जाना उचित होगा।

गोरखपुर जोन (गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर), पैकेज-5 के अनुबन्ध की धनराशि रु0 13,32,11,677 प्रति वर्ष सुल्तानपुर शहर के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन के कार्य की अनुबन्धित धनराशि रु0 1,07,42,877 प्रति वर्ष प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

#### निर्णय :

गोरखपुर जोन (गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर), पैकेज-5 के अनुबन्ध से सुल्तानपुर शहर के 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन इत्यादि के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन कार्य को स्कोफ ऑफ वर्क से समाप्त करने हेतु प्रस्ताव पर उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशालय (ओ0एम0एण्डएम0 सेल) एवं उ0प्र0 जल निगम अनुबन्ध के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराये।

एजेन्डा (ix) अन्य बिन्दु अपर मुख्य सचिव, नगर विकास/अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा।

(1) महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1054 / AC-6/40 दिनांक 26.04.2021, एवं पत्र संख्या-1055 / AC-6/41 दिनांक 26.04.2021 द्वारा जोन, पैकेज-4 के लिए फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के फर्म - M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष पेमेन्ट सर्टीफिकेट/बिल जमा किया गया है। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेन्डा (i) में उक्त फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 के पेमेन्ट सर्टीफिकेट/बिल सम्मिलित किये गये हैं।

(2) मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0, द्वारा अनुबन्ध सं0-09 / SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 4, Lucknow Zone के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2019 से लखनऊ शहर के 3 एस.टी.पी., 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 2140 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं एवं कार्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। (संलग्नक-7)

(3) मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध सं0-09 / SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 8, Ghaziabad Zone एवं अनुबन्ध सं0-09 / SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 6, Agra Zone के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से गाजियाबाद जोन के 15 एस.टी.पी. में से 14 एस.टी.पी. 44 पम्पिंग स्टेशन एवं 2795 कि.मी. सीवर नेटवर्क एवं 7 एस.टी.पी., 28 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 910 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रेजेन्टेशन दिया गया। (संलग्नक-8)

*At Last and in conclusion of meeting, considering the presentation and issues raised by Operators/Firms. Additional Chief Secretary, Nagar Vikas given the following directions:*

(i) Concern Chief Engineer/ General manager, Jal Nigam ensure the timely submission of Payment Certificates/ Bills to Directorate, (OM&M Cell) in due Course of time as prescribed in the Contract. It has been observed that Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone Payment Certificates/ Bills are delayed in submission.

(ii) Concern Chief Engineer/General Manager, Jal Nigam ensure the submission of major replacement work proposal and subsequent approval, therefore fund deposited in Escrow Account may be released in time after satisfactory completion of major replacement fund works.

*HQ, Jal Nigam, lucknow may monitor and followup the both above issues.  
It has been observed that Firms OM&M works are satisfactory and may improve further. UPPCB representative opinioned the same.*

उपरोक्तानुसार, एजेण्डा (i, ii, iii एवं iv) के सापेक्ष लिये गये निर्णय में अकित कुल धनराशि रु० 44,46,69,118.09 /— (रु० चौवालिस करोड़ छियालिस लाख उन्हत्तर हजार एक सौ अठारह व पैसे नौ मात्र) में लखनऊ जोन के लिये रु० 252122000.19, आगरा जोन के लिये रु० 82491134.68, गाजियाबाद जोन के लिये रु० 102976763.93 एवं गोरखपुर जोन के लिये रु० 7079219.29 तथा विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 5,98,72,532.44 (पांच करोड़ अद्भुत लाख बहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस एवम् द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 5,98,72,532.44 (पांच करोड़ अद्भुत लाख बहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस एवम् चवालीस पैसे) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने एवं प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को उक्त धनराशि अवमुक्त द्वारा समस्त उपस्थित कमेटी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति की गयी। उ०प्र० करने हेतु समस्त उपस्थित कमेटी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति की गयी। उ०प्र० जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या-2748/नौ-9-20-89ज/2001 दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० 350 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ०प्र० जल निगम को उक्त धनराशि रु० 44,46,69,118.09 /— (रु० चौवालिस करोड़ छियालिस लाख उन्हत्तर हजार एक सौ अठारह व पैसे नौ मात्र) तथा विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 5,98,72,532.44 (पांच करोड़ अद्भुत लाख बहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस एवम् चवालीस पैसे) अवमुक्त की जा सकती है।

*३०.५.२०२१*  
सदस्य-सचिव  
मुख्य अभियन्ता,  
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयता)  
अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश

*३०.५.२०२१*  
उप/सहायक निदेशक, लखा,  
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,  
लखनऊ

*३०.५.२०२१*  
सदस्य  
सदस्य सचिव,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

*३०.५.२०२१*  
सदस्य  
निदेशक नगरीय निकाय  
निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

*३०.५.२०२१*  
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ

*३०.५.२०२१*  
अपर मुख्य सचिव, नगर विकास  
विभाग, उ०प्र० शासन

संख्या एवं दिनांक - तदैव (संख्या- १५५।०२।०८।८।२०२१-२२, पृ० ३०३५५८-२०२१)

#### प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-१, उ०प्र० लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयता) अभियन्त्रण सेवा, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
7. उप/सहायक निदेशक, लखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. सम्बन्धित समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम।

*३०.५.२०२१*  
सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
लखनऊ